न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07 / 2019

प्रार्थीगण – *बनाम* **अप्रार्थीगण –**

प्रार्थीगण –
1. खूमाराम पुत्र राजूराम
2. काछबाराम पुत्र राजूराम
3. गिरधारीराम पुत्र राजूराम
4. जुगताराम पुत्र राजूराम
5. मदन कुमार पुत्र राजूराम

जाति मेघवाल निवासी लीलसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. सरपंच, ग्राम पंचायत लीलसर
2. गंगा देवी पत्नी जीयाराम जाति जटिया निवासी लीलसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 54 दिनांक 12.06.2017 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.11.2022

1 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम लीलसर में ग्राम पंचायत की आबादी भू[illegible] दिनांक 12.06.2017 जारी किया गया। इस पट्ट[illegible] राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधा[illegible] किये जाने से उक्[illegible] की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत लीलसर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्तागण स्व0 राजूराम के विधिक वारीसान हैं तथा स्व0 राजूराम के पुराने स्वामित्व व अधिपत्य के परिसर ग्राम लीलसर की आबादी में मौहल्ला मेघवालों का मौहल्ला में स्थित भूखण्ड पर निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1974–75 में ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि में रहवास करने वाले व्यक्तियों को रहवास हेतु पट्टे जारी करने के निर्देश जारी किये गये थे जिसके क्रम में प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में विकास अधिकारी चौहटन द्वारा दिनांक 03.01.1975 क्रम सं. 16 पर पट्टा जारी किया गया था। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण के उक्त पट्टाशुदा एवं आधिपत्य के भूखण्ड का नये सिरे से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 12.06.2017 को आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण के करीब 50 वर्ष पुराने कब्जे व रहवास का जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

4. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 का रहवासीय परिसर विवादित भूखण्ड से करीब 600 फीट दक्षिण में आबादी भूमि में स्थित हें जिसमें अप्रार्थी सं. 2 का रहवासीय मकान बना हुआ हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने वर्तमान रहवासीय परिसर के वास्तविक तथ्य छिपाकर प्रार्थीगण के [illegible] के भूखण्ड का पट्टा जारी करवा दिया हैं। प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में विकास अधिकारी चौहटन द्वारा दिनांक 03.01.1975 को पट्टा जारी किया गया था जिस पर प्रार्थीगण के पिता द्वारा कच्चा झोंपा, मिट्टी की ईंटो का कमरा, बाड़ सहित पानी की टांकली बना कर अपना कब्जा स्थापित किया था। इसके बाद प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त भूमि पर अर्सा तीन वर्ष पूर्व पक्के शौचालय–स्नानघर सहित निर्माण हेतु रांगे भर दी एवं सीमेंट की ईंटों का कमरा बनाकर कब्जा स्थापित किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने गत निर्वाचन में मतदान को लेकर प्रार्थीगण के साथ द्वेषभाव रखते हुए रंजीश लेकर प्रार्थीगण के पैतृक, रहवासीय व पट्टाशुद परिसर आलौच्य पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी कर दिया जो निरस्त योग्य हैं।

5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में जांच, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने यह भी प्रकट किया कि वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय चौहटन में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। लिहाजा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

6. हमने हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत लीलसर से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि का अप्रार्थी स. 2 के आवेदन पर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन / नियमन किया गया हैं। इस हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड की मौ[illegible]ण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं तथा सार्वजनिक [illegible] पंचायत की बैठक दिनांक 12.06.2017 में प्रस्ताव सं. 05 पारित करते हुए आलौच्य विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा हैं तथा उनके पिता के नाम विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकारी चौहटन द्वारा दिनांक 03.01.1975 को पट्टा जारी किया गया हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से निगरानी अधीन प्रकरणों में प्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई उजर–ऐतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता हैं। ऐसे में यदि प्रार्थीगण को आलौच्य प्रकरण के सम्बन्ध में कोई एतराज हैं तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण के समय उजरदारी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी संख्या 2 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत लीलसर के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली में गवाहान के बयान पंचायत में उपलब्ध कागजात पर लिये जाकर ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सेवक एवं वार्ड पंचों की सर्वसम्मति से आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 20.05.2017 को जारी किया गया है जिसमें नियमों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय चौहटन में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त पट्टा विलेख के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थीगण की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested